(101)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प. 3(43)नविवि/09 जयपुर, दिनांक : 17 AUG 2009

आदेश

इस विभाग द्वारा सरलीकरण, सामंजस्य एवं पारदर्शिता के अन्तर्गत 90 बी (3) से सम्बन्धित प्रकरणों के कियान्वयन हेतु दिनांक 25.02.2009 को जारी परिपत्र के बिन्दु संख्या 18 (घ) व अन्य बिन्दुओं में स्पष्टीकरण के अभाव में जयपुर विकास प्राधिकरण एवं सम्पूर्ण राज्य के अन्य स्थानीय निकायों में 90 बी (3) से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण अवरुद्ध है ऐसी स्थिति में उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 18 (घ) व अन्य बिन्दुओं के संबंध में निम्न स्पष्टीकरण जारी किया जाता है –

1. परिपत्र दिनांक 25.02.09 के बिन्दु संख्या – 18(घ) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि नगरीयकरण सीमा के बाहर रोड नेटवर्क प्लान से तात्पर्य नेशनल हाइवे / स्टेट हाइवे, नगरीय निकायो / ग्रामण सडको / रीको / राजस्थान आवासन मण्डल / सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत / निर्मित सडकें आदि भी शामिल है, अर्थात समस्त नगरीय निकायों द्वारा नगरीयकरण सीमा से बाहर के ऐसी क्षेत्र, जहां सेक्टर प्लान / ड्राफ्ट मास्टर प्लान इत्यादि बनाये गये हैं या नही बनाये गये हैं, परन्तु आवेदक की भूमि उपरोक्त वर्णित / नियोजित सडकों से सम्पर्क प्राप्त होता है, उपरोक्त वर्णित / नियोजित सडको पर लगती हुई हो अथवा परिपत्र के बिन्दू संख्या 12 के अन्तर्गत आवेदित भूमि को सम्पर्क सडक प्राप्त होती है, तो ऐसे प्रकरणों में, भू उपयोग परिवर्तन, 90 बी (3) एवं नक्शा अनुमोदन की कार्यवाही की जा सकती है । परन्तु ऐसे प्रकरण जिनमें परियोजना स्थल तक पहुंच हेतु किसी भी प्रकार की स्थानीय सड़क नियोजित नहीं की गई है, ऐसे प्रकरणों में 90–बी (3) कार्यवाही स्थानीय संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जा सकेगी।

अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के संबंध में उल्लेखित योजनाओं के अतिरिक्त भी निकाय जिन योजनाओं को विकास की दृष्टि से उचित समझे, उन योजनाओं को राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर परियोजनाओं को निकाय स्तर पर स्वीकृत किया जा सकेगा ।

2. परिपत्र दिनांक 25.02.09 के बिन्दु संख्या 15 से 17 व 22 के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उपांतरण एवं रुपातंरण के जितने क्षेत्रफल तक के अधिकार निकायों को प्रदत्त किया गया है, उस स्तर तक ऐसे उपान्तरण एवं रुपान्तरण को स्वीकार / अस्वीकार करने के प्रकरणों का निस्तारण संबंधित नगरीय निकाय स्तर पर किया जायेगा । परन्तु इससे अधिक क्षेत्रफल के लिए अस्वीकृति के प्रकरण कारण सहित राज्य स्तरीय समिति / राज्य सरकार को अंतिम निर्णय हेतु प्रेषित किये जावेगें ।

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

(248)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी, सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा. मुख्य मंत्री महोदय, /
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव द्वितीय मा. मुख्य मंत्री राज. सरकार ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर ।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज. जयपुर ।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग ।
7. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।
8. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।
9. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर ।
10. आयुक्त, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुरको समस्त स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिये ।
11. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान, जयपुर ।
12. शासन उप सचिव, प्रथम / द्वितीय, नगरीय विकास विभाग,राजस्थान, जयपुर ।
13. समस्त जिला कलेक्टर ।
14. मुख्य नगर नियोजक / मुख्य नगर नियोजक (रा.रा.क्षेत्र) राजस्थान, जयपुर ।
15. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त ।
16. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
17. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
18. रक्षित पत्रावली ।

(एस.ए.फारुकी)
शासन उप सचिव